न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 35/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रेवन्तराम पुत्र पोकरराम जाति रेगर निवासी संखवास तहसील मुण्डवा।		1रामनिवास पुत्र ढेमाराम जाति हरिजन निवासी संखवास। 2मोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी संखवास। 3सुखदेव पुत्र हरकाराम। 4रामकिशोर पुत्र मदन। 5सिरूराम पुत्र उम्मेदा (उम्मेदा पुत्र शेरा फौत) जातियान मेघवाल निवासीगण संखवास तहसील मुण्डवा। 6तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री महावीर सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गंगासिंह कालवी, अधिकवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से।
3. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 14.12.2017

{1}–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा द्वारा भूमि रूपान्तरण प्रकरण सं. 47/15 मौजा संखवास के खसरा सं. 2446/2336 रकबा 2023.44 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.04.2016 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने आदेश जैर अपील सर्वथा गलत, मौके की स्थिति के विपरीत, विधि विरूद्व व रेकर्ड के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने उपरोक्त विक्रय पत्रों में दर्जे पडोसियान का अवलोकन किये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट को आधार मानकर संपरिवर्तन आदेश अपीलांट के रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट की भूमि के उत्तर में 15 फुट चौडी तत्कालीन खातेदारों द्वारा अपीलांट के आवागमन के लिये रास्ता के लिये भूमि छोडी गई। जिस पर वर्ष 2014 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत द्वारा काश्त कर कब्जा करने की कोशिश किये जाने से अपीलांट ने पुलिस थाना भावण्डा में प्रकरण सी.आर. नं. 120/2014 दर्ज करवाया जिसमें पुलिस द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस मौका रिपोर्ट में भी अपीलांट के उक्त रास्ता का अंकन है तथा वह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में विद्युत लाईन भी दर्शित है। मगर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा से यह बात छुपा कर पटवारी हल्का से मिलावट कर मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट करवा कर उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिया जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के उक्त गैर कानूनी कृत्यों व आपराधिक षडयंत्र के तहत की गई कार्यवाही के संबंध में अपीलांट सारे सबूत एकत्रित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्व तथा अन्य जो भी अपराधिक षडयंत्र में शरीक मुलजिम होगा उनके विरूद्व फौजदारी प्रकरण अलग से दर्ज करवाया जायेगा।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने बिना सही जांच किये, अपने स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, वास्तविक मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना मौका देखे ही व बिना

अपर कलक्टर, नागौर

बेचान के पडोस मिलान किये ही अपीलांट की भूमि में आने जाने के रास्ते को शामिल लेते हुए व पडोस बदलते हुए सपंरिवर्तन आदेश जारी करने में भारी कानूनी भूल की है जो खारिज योग्य है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामनिवास गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उसकी हैसियत भूमि खरीद फरोख्त व भूमि रूपान्तरण शुल्क आदि जमा करवाने की नही है। उसे तो रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत ने मोहरा बनाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह जो एक खूंखार व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है। गलत रूप से अपीलांट के रास्ते की भूमि दबाने की नियत से सारी अनुसूचित जाति की भूमि खरीद फरोख्त कर बेनामी विक्रय पत्र करवा कर प्लोटिंग कर करोडो रू. कमाने की योजना तैयार कर पटवारी हल्का से मिलावट कर अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा को अंधेरे में रख कर हस्तगत संपरिवर्तन आदेश जैर अपील पारित करवाया जो खारिज योग्य है।

{2}(VI)–भंवरूराम नायक के नाम से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर उसमें से 5 बिस्वा भूमि का समर्पण करना बताया तथा शेष 3 बीघा में से 1.10 भूमि रेस्पो.सं. 1 रामनिवास को बेचान करना बताकर शेष 1.10 बीघा भंवरूराम ने स्वयं की बताकर संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया। वह भंवरूराम ने अपनी भूमि की उत्तरी भुजा 268.36 फुट तथा रेस्पो. सं.1 रामनिवास को विक्रय किये गये भाग की उत्तरी भुजा 290.08 फुट दर्शायी है दोनो का योग 559.16 फुट लंबाई जो पूर्व में भंवरूराम की 3.5 बीघा भूमि की उत्तरी भुजा हुई तथा इस भुजा पर 30 फुट चौडा रास्ता दर्शाया यानि 555.16 x 30 = 16774.8 वर्गफुट भूमि हुई। जो करीब 1558.43142 वर्ग मी. भूमि हुई। जो लगभग 1 बीघा भूमि है। यदि 30 फुट चौडा रास्ते के लिये करीब 1 बीघा भूमि रास्ते की कम करने पर रेस्पो. सं.1 रामनिवास व भंवरू के पास 2.05 बीघा भूमि ही शेष रहती है। इस प्रकार उक्त भंवरूराम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलांट की रास्ते की भूमि को अपने ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा में शामिल करते हुए सपंरिवर्तन के लिये आवेदन किया, अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी तहसीलदार ने बिना गणना किये ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे आदेश खारिज योग्य है।

{2}(VII)–रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 ने अपीलांट के रास्ते के लिये भूमि छोड कर इकरारनामा निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवा कर अपीलांट को दिया था। जिससे वे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे रेस्पोडेन्ट बनाया गया।

{2}(VIII)–आदेश जैर अपील बाले बाले पारित करवाया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। हाल ही में रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत ने अपीलांट की आराजी में आवागमन के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां दी व रास्ते की भूमि को शामिल करवाते हुए संपरिवर्तन आदेश तहसीलदार मुण्डवा से अपने पक्ष में करवा लेने के बारे में बताया व उसको आधार बना कर जबरन कब्जा करने व रास्ते की भूमि से अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां देने पर अपीलांट ने जानकारी करवायी व नकल के लिये आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 15.3.16 को प्राप्त हुई, जिनको पढने व पढाने से अपीलांट को उसके विरूद्व अपील करने की कानूनी राय मिली, तत्पश्चात अपील की तैयारी कर अपील तैयार करवायी जाकर तथा दिनांक 23.3.16 से 27.3.16 तक राजकीय अवकाश होने से तुरंत अपील पेश की गई। जो उपरोक्त परिस्थितियों में न्याय हित में अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणों पर निर्णीत की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{3} वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपीलांट ने आदेश जैर अपील होने की जानकारी उसे होने की दिनांक अंकित नही की है तथा न जानकारी होने का कारण विश्वसनीय है। दिनांक के अभाव में मियाद कब से शुमार की जायेगी। इसलिये प्रार्थना पत्र मियाद में शुमार करने का कारण माकूल नही है हाल ही शब्द बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब एक माह भी हो सकता है व एक साल भी हो सकता है। अपीलांट को सपंरिवर्तन की जानकारी मोहनसिंह क्यों देगा, यह मानने योग्य कारण नही है। नकल मिलने की तारीख 15.3.16 बताई है। मगर प्रार्थना पत्र कब दिया नही बताया है। सो नकल से कितना समय लगा नही पता चलता। नकल दिनांक 15.3.16 को मिल गई तो अपील दिनांक 28.3.16 को क्यो की पहले भी की जा सकती थी। इसलिये अपील मियाद में शुमार करने का कोई कारण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधिवत कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। जिसे यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–रेस्पोडन्ट सं. 6 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये

अपर कलक्टर, नागौर

तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि अपील मियाद के बाहर पेश की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा मौजा संखवास के खसरा नं. 2446/2336 रकबा 2023.44 वर्गमीटर भूमि का आवासीय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 28.3.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। देरी माफ हेतु प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना होता है। अपीलांट को किस तारीख को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई तथा उसके द्वारा किस तिथि को आदेश जैर अपील की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा उसे नकले कब मिली। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। बिना संतोषजनक कारण के विलम्ब माफ किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर